



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092026-276321
CG-DL-E-18092026-276321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 755]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 825(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के 1000 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.— मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का जारी करने के लिए इसे टकसाल में ढाला जाएगा।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.**— नियम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	निकिल चांदी तांबा – 60 प्रतिशत निकिल – 20 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.**— मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची [नियम 4 देखें]

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “**सत्यमेव जयते**” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “**भारत**” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “**INDIA**” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “**₹**” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “**100**” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग में सिक्के के मध्य में मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण लेख “**मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के 1000 वर्ष**” लिखा होगा, और मोढेरा सूर्य मंदिर के चित्र के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में “**1026-2026**” उत्कीर्ण होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में उत्कीर्ण लेख “**1000 YEARS OF MODHERA SUN TEMPLE, GUJARAT**” लिखा होगा।

द्वसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	32 ग्राम	तांबे, निकिल और जस्ते के लिए 1/100वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् तांबे का अंश 59 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तथा जस्ता और निकिल का अंश 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक हो सकेगा।	1/40वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् वजन 31.2 ग्राम से 32.8 ग्राम तक हो सकेगा।

[फा. सं. 02/39/2026 - सिक्का]

अमित सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

G.S.R. 825(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of 1000 Years of Modhera Sun Temple, Gujarat) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of One Hundred Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of completion of 1000 Years of Modhera Sun Temple, Gujarat.

3. **Dimension and composition of coin.**— The denomination of the coin specified in rule 2 shall conform to the following dimensions and compositions, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Nickel Silver Copper-60 per cent. Nickel-20 per cent. Zinc-20 per cent.

4. **Design.**— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of denomination referred to in rule 2 to commemorate the occasion of completion of 1000 Years of Modhera Sun Temple, Gujarat and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of the Ashoka Pillar at the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the motif of Modhera Sun Temple, Gujarat at the centre of the coin. The inscription “मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के 1000 वर्ष” in Devanagari script shall be inscribed on the upper periphery of the coin, with the year “1026-2026” in international numerals inscribed above the motif of Modhera Sun Temple. The inscription “1000 YEARS OF MODHERA SUN TEMPLE, GUJARAT” in English shall be inscribed on the lower periphery of the coin

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	32 Grams	1/100 th plus or minus for Copper, Nickel and Zinc, that is to say, Copper content may vary from 59 per cent. to 61 per cent. and Zinc and Nickel content may vary from 19 per cent. to 21 per cent.	1/40 th plus or minus, that is to say, the weight may vary from 31.2 grams to 32.8 grams.

[F. No. 02/39/2026-Coin]

AMIT SINGLA, Jt. Secy.